

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग १७४१

०६/१०/२०२५

:: आदेश ::

डॉ० भीमराव अम्बेडकर १०+२ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त के निमित्त शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद संरचना एवं वेतन संरचना के समरूप विभागीय अधिसूचना सं०-५५३७ दिनांक:-०३.११.२०२३ द्वारा "बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, २०२३" अधिसूचित किया गया है।

२- बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, २०२३ के नियम-६ (v) एवं नियम-९(२) में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

(i) नियम-६ (v)

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापक के सभी पदों (कक्षा १ से ५ तक के अध्यापक, कक्षा ६ से १० तक के अध्यापक एवं कक्षा ११ से १२ तक के अध्यापक) पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में किसी संशोधन/स्पष्टीकरण/निर्णय की स्थिति में न्यूनतम अर्हता का पुनर्निर्धारण शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत कर किया जा सकेगा। "

(ii) नियम-९ (२)

अनुभव:- कक्षा ६ से १० तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एस०सी०एड०) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम ४ वर्षों की लगातार सेवा हो।

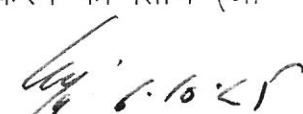
३- शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-७८६ दिनांक-१५.०३.२०२४ द्वारा "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, २०२३" में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए " बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, २०२४ " अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के नियम-१३(ख) में कक्षा ९ से १० तक के विद्यालय अध्यापक को कक्षा ११ से १२ तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि ८ वर्ष (उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार) का प्रावधान किया गया है।

सम्यक समीक्षोपरांत " बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, २०२३ " के नियम-६ (v) के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक

(नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2024" के नियम-13(ख) के आधार पर बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम-9(2) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम-9(2)

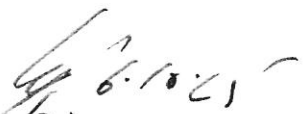
अनुभव:- कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी0एड0/बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा हो।


(श्याम बिहारी मीणा)

निदेशक

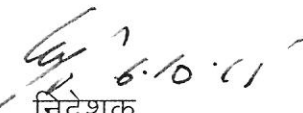
ज्ञापांक-2डी0/शि0स्था0-60-01/2014(खण्ड-1) - 7781 पटना/दिनांक-06/10/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

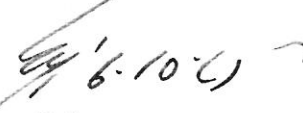
ज्ञापांक-2डी0/शि0स्था0-60-01/2014(खण्ड-1) - 7781 पटना/दिनांक-06/10/2025

प्रतिलिपि:-निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक-2डी0/शि0स्था0-60-01/2014(खण्ड-1) - 7781 पटना/दिनांक-06/10/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक